बिहार सरकार
राजरव एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 :– 03/भू0अ0नि0(5)विविध(संघ)–25/2025...5918.....पटना, दिनांक :– 27/08/2025

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज का पत्रांक 764 दिनांक 18.08.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री अंशुल कुमार चौधरी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (SKN00850), दिनांक 16.08.2025 से अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित हैं एवं उनके हड़ताल पर जाने की सूचना भेजी गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त सूचना के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 4887 दिनांक 21.08.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। इनके द्वारा स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी एवं अभियंता संघ द्वारा आयोजित हड़ताल में इनके संघ द्वारा अनुरोध किए गए मांग की पूर्ति नहीं होने के फलस्वरूप शामिल हैं। यह भी अंकित किया गया है कि पाँच सूत्री मांगों के नहीं पूरा होने के फलस्वरूप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पूरे राज्य में चलाए जा रहे महाअभियान में शामिल नहीं हुए हैं। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि बगैर जांच पड़ताल के स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है।

प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि इनसे जिन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण किया गया है, उसके विपरीत सर्वथा निराधार, तर्कहीन, बेबुनियाद एवं अनावश्यक तथ्यों का उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। इनके विरूद्ध लगाए गए आरोप के आलोक में प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी।

विदित हो कि अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 2786(9A) दिनांक 29.07.2025 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग एवं पंचायती राज विभाग के सहयोग से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आमजनों/रैयतों के भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 16.08.2025 से राजस्व महाअभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें इनकी भी भूमिका निर्धारित की गयी थी।

उक्त महाअभियान प्रारंभ होने की तिथि से ही अनुचित मांगो यथा सेवा नियमित करने, धारित पद को सहायक अभियंता (AE)/कनीय अभियंता, असैनिक (JE)/उच्चवर्गीय लिपिक(UDC) के नियमित नियुक्ति में 05 अंक की अधिमानता तदनुसार समतुल्य वेतन देने के साथ ESIC आदि को लेकर हड़ताल पर ये चले गये हैं।

उपरोक्त मांगो के संदर्भ में स्थिति यह है कि इनका नियोजन बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के तहत हुई है। उल्लेखनीय है कि नियमावली के अनुरूप प्रकाशित विज्ञापन के अन्तर्गत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का नियोजन किया गया है, उससे स्पष्ट है कि पदों का सृजन संविदा आधारित है तथा पदों का नाम विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/विशेष सर्वेक्षण कानूनगो/विशेष सर्वेक्षण लिपिक एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन पदनाम कर्णांकित है, जो एक निश्चित अवधि तक (यथा योजना अवधि तक) के लिए ही किया गया है। नियोजन में इनके द्वारा Terms of Assignment हस्ताक्षरित किया गया है, जिसकी कंडिका–1(ii) में स्पष्ट रूप से "This is a time bound engagement on contract and the personnel cannot and will not claim for any extension or even permanent employment" एवं कंडिका–5(ii) में भी "At no stage you should claim permanent employment with the government" अंकित है। एतद् संबंधी घोषणा इनके द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से स्वयं हस्ताक्षरित कर दिया गया है, जिसमें यह भी अंकित है कि "Terms of Assignment की सभी कंडिकाओं को पढ़ व समझ लिया हूँ और मैं Terms of Assignment में लिखी गयी सभी कंडिकाओं को स्वीकार करता हूँ"।

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त तथ्यों के विवेचनोपरांत पाया गया कि ये अचानक बिना नियंत्री पदाधिकारी को सूचना दिए शिविर कार्यालय से अनुपस्थित हो गये एवं हड़ताल में सम्मिलित हो गये है। जिस तथाकथित संघ के आह्वान पर ये हड़ताल में सम्मिलित हुए हैं, उस संघ की मान्यता किसी भी सक्षम प्राधिकार से नहीं है। साथ ही विशेष सर्वेक्षण कार्यो में भी इन्हें दिए गए लक्ष्य से इनके कार्यो की प्रगति काफी कम है। विशेष सर्वेक्षण का कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय में पूरा किए जाने हेतु पूरी कार्ययोजना निर्धारित है। इनके कर्त्तव्य से अनुपस्थिति के फलस्वरूप निर्धारित कार्ययोजना में बाधा पहुँची है। साथ ही साथ इनका नियोजन मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत अस्थायी संविदा के पद पर किया गया है एवं इनके द्वारा नियोजन में Terms of Assignment पर भी हस्ताक्षर किया गया है, जिसके लिए इनके द्वारा शपथ पत्र भी समर्पित किया गया है। **इसके बावजूद भी संविदा पद को नियमित करने, पदनाम बदलने आदि जैसी मांग को लेकर हड़ताल पर जाना इनके द्वारा समर्पित प्रतिशपथ पत्र का उल्लंघन है। हस्ताक्षरित शपथ पत्र समर्पित करने के** बावजूद **सरकारी कार्यो को निष्पादित करने के बजाए अनुचित मांगों के साथ सरकार की जनसरोकार एवं जनकल्याणकारी योजना में बाधा पहुँचाने जैसा कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है एवं ये अपने कार्यो एवं सरकार द्वारा सौंपे गये दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं है। साथ ही साथ इनका मांग प्रावधानित नियमावली एवं समर्पित शपथ पत्र के विपरीत है, जिसको मान्य नहीं किया** जा सकता है। **उपरोक्त से स्पष्ट है कि** इनका आचरण कार्य के प्रति लापरवाही, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, संविदा नियोजन हेतु निर्गत सुसंगत नियमो के विपरीत कार्य करना एवं स्वेच्छाचारिता तथा मनमानेपन का परिचायक है। **यदि इनकी सेवा बनाए रखी जाती है, तो भविष्य में भी इनके द्वारा इस तरह की पुनरावृत्ति की जाएगी।**

अतः बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम – 8(4) में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री अंशुल कुमार चौधरी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (SKN00860), का संविदा नियोजन आदेश निर्गत की तिथि से समाप्त किया जाता है।

(जे० प्रियदर्शिनी)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(5)विविध(संघ)–25/2025 5918 **पटना, दिनांक :–** 27/08/2025

प्रतिलिपि :– श्री अंशुल कुमार चौधरी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (SKN00860), बंदोबस्त कार्यालय, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(5)विविध(संघ)–25/2025 5918 **पटना, दिनांक :–** 27/08/2025

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(5)विविध(संघ)–25/2025 5918 **पटना, दिनांक :–** 27/08/2025

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रोग्रामर को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

Scanned with OKEN Scanner